

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1647

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

साइबर धोखाधड़ी के कारण जनता को हुआ नुकसान

1647. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दस वर्षों के दौरान साइबर धोखाधड़ी के कारण जनता को कितना नुकसान हुआ है;  
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान कितने मामले रिपोर्ट किए गए हैं;  
(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कितने दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और कितनी प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं;  
(घ) क्या सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई की गई है और दोषियों को दंडित किया गया है; और  
(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन धोखाधड़ियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): देश में बढ़ते डिजिटल भुगतान लेनदेन के साथ ही विगत कुछेक वर्षों में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ियों सहित धोखाधड़ी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है, तथापि, वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिसंबर 24 तक) की अवधि के दौरान 'कार्ड/इंटरनेट और डिजिटल भुगतान' श्रेणी के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूचित धोखाधड़ियों की वर्ष-वार संख्या और हानि की मात्रा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या (1 लाख रुपये और उससे अधिक की अंतर्गत राशि)	हानि की मात्रा (करोड़ रुपये में)
2014-15	845	18.46
2015-16	1191	26.90
2016-17	1372	27.78
2017-18	2058	79.79
2018-19	1866	51.74
2019-20	2677	44.22
2020-21	2545	50.10
2021-22	3596	80.33
2022-23	6699	69.68
2023-24	29082	177.05
2024-25 (दिसंबर 24 तक)	13384	107.21

स्रोत: आरबीआई

‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध सहित अपराध की रोकथाम करने, अपराध का पता लगाने, अपराध का अन्वेषण करने और उसके अभियोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एलईए के क्षमता निर्माण संबंधी पहलों को परामर्शिकाओं और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान करता है।

आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर 15 जुलाई, 2024 को मास्टर निदेश जारी किए हैं, जो गैर-केवाईसी अनुपालन और मनी म्यूल खातों आदि में लेनदेन/असामान्य गतिविधियों की निगरानी के लिए आरंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) संबंधी ढाँचा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, लेनदेनों, विशिष्ट रूप से डिजिटल प्लेटफार्मों और एप्लिकेशन के माध्यम से लेनदेन की निगरानी के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए डेटा एनालिटिक्स और बाजार आसूचना इकाई (मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट) की आवश्यकता को अधिदेशित किया गया है।

साइबर अपराधों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न पहल करती रही है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सोशल मीडिया एकाउंट के माध्यम से साइबर सुरक्षा उपाय, किशोरों/छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन, सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए “सूचना सुरक्षा संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों” का प्रकाशन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि के सहयोग से साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित करना शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी लघु एसएमएस, रेडियो अभियान, साइबर अपराध की रोकथाम आदि के संबंध में प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं।

इंडियन कम्प्यूटर ईमर्जेंसी रिस्पॉन्स टीम(सीईआरटी-इन) डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित उपयोग और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए चेतावनी जारी करके और परामर्शिका जारी करके, साइबर सुरक्षा की स्थिति और संगठनों की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल के माध्यम से विभिन्न उपाय करता है।

नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी सहित किसी भी साइबर घटना की सूचना देने को सुकर बनाने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम हैल्पलाइन नम्बर ‘1930’ के साथ-साथ राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ([www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in)) का भी शुभारंभ किया है। इसी प्रकार दूर संचार विभाग ने डिजिटल आसूचना प्लेटफार्म (डीआईपी) तथा संचार साथी पोर्टल (<https://sancharsaathi.gov.in>) पर ‘चक्षु’ सुविधा आरंभ की है। चक्षु नागरिकों को धोखाधड़ी की नीयत से कॉल, एसएमएस अथवा ब्हाट्सएप के माध्यम से केवाईसी समाप्त होने अथवा बैंक खाते को अद्यतन करने के संबंधी सूचना को रिपोर्ट करने को सुकर बनाता है।

\*\*\*\*\*